

परिवादी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रकरण आज जांच रिपोर्ट पर तर्क हेतु नियत है ।

इसी प्रास्थिति परिवादी अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर बल ना देना व्यक्त किया एवं परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया । फलतः बल देने के अभाव में परिवादी को आवेदन निरस्त किया गया ।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये ।